—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 4/2022

उनवान

1. नौसर पत्नी गापी
2. पूजा
3. देवराज ना.बा.
4. मंजा ना.बा. पि. गोपी समसत जाति गुर्जर निवासी श्रीनगर, नसीराबाद जरियें संरक्षक माता नौसर पत्नी गोपी

——वादीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री रविन्द्र शर्मा

बनाम

1. कल्याण पुत्र भंवरलाल
2. कालू पुत्र भंवरलाल
3. जसराज पुत्र भंवरलाल
4. नाथू पुत्र भंवरलाल
5. महावीर पुत्र रामचन्द्र
6. माया पुत्री भवंरलाल
7. लाली पुत्री भवंरलाल
8. शारदा पुत्री भंवरलाल
9. शिवराज पुत्र रामचन्द्र
10. सुगनी पत्नी रामचन्द्र
11. सुरजमल पुत्र भंवरलाल
12. सीता पुत्री रामचन्द्र समसत जाति गुर्जर निवासी ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद
13. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :— 1 से 12 अनुपस्थित, 13 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 2.1.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के खाता संख्या 862/836 किता 14 रकबा 2.88 [illegible] वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा का [illegible] नही हुआ है। प्रतिवादीगण आराजी के विभाजन से इंकार करते हैं तथा आराजी मुतनाजा [illegible] वादीगण के हिस्से पर दखलदांजी व अतिचार कर रहे है। आराजी मुतनाजा [illegible] हस्तातरण करने पर आमादा है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:13:03 IST
Reason: SelfAttested

आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण विचारण के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने जाहिर किया कि उन्हे वाद में धारा 88 का अनुतोष वांछित नही है। वाद के समर्थन में अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम श्रीनगर के खाता संख्या 862/836 किता 14 रकबा 2.88 की आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। वादीगण ने उक्त वाद मे विभाजन का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 प्रकरण में अनुपस्थित है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा का विभाजन होने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। वादीगण विभाजन प्राप्ति के अधिकारी है।

उक्तांनुसार ग्राम श्रीनगर के खाता संख्या 862/836 किता 14 रकबा 2.88 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:13:03 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

नौसर बनाम कल्याण

दावा बाबत :– 53, 88,188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 4/2022
पेश करने की दिनांक – 06.01.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रविन्द्र शर्मा मुद्दई राजेश सुकरिया व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम श्रीनगर के खाता संख्या 862/836 किता 14 रकबा 2.88 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 2 माह 1 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:13:03 IST
Reason: SelfAttested